

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ14(Trans)2017/एफसीए/प्रमुखसं/

दिनांक: 28.5.20

शासन सचिव

वन विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

1257

विषय:—Diversion of Forest land 3.92 ha. Total (Ajmer 3.01 ha. and Nagaur 0.91 ha. Forest land) Forest land in Favour of Executive Engineer. RRVPNL Ajmer for Construction of 220 k/v D/C Ajmer-Bherunda Transminssion Line in Ajemr and Nagaur proposal No. FP/RJ/TRANS/29091/2017

संदर्भ:—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8 बी/राज/04/19/2018/एफसी/230 दिनांक 28.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 7376 दि. 24.10.2019 एवं 1502 दि. 03.03.2020 से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार है :—

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वचन बंधता प्रमाण पत्र सलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने अवनत वन भूमि (7.84=2x3.92ha.) अर्थात् 7.84 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	कुल राशि (7.84x129000) 1072747 /— कैम्पा खाता संख्या 150856429091681 कॉर्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में आरटीजीएस के माध्यम से जमा करवाई गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है। अजमेर-1011360 /— दिनांक 12.07.2018 61387/-दिनांक 14.05.2019 (अन्तर राशि) नागौर-समस्त राशि अजमेर वन मण्डल में जमा है। योग-1072747 /—
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विधुत लाईन के नीचे बौने पौधे (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	राशि 2208694 /— कैम्पा खाता संख्या 150856429091681 कॉर्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में आरटीजीएस के माध्यम से जमा करवाई गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है। अजमेर-1595300 /— दिनांक 12.07.2018 100666/-दिनांक 14.05.2019 (अन्तर राशि) नागौर-482300 /— दिनांक 12.07.2018 30434/-दिनांक 14.05.2019 (अन्तर राशि) योग-2208700 /—
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 202 (सिविल) 1995 के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य कि निर्धारित राशि कैम्पा (वी.पी.एन) नई दिल्ली में जमा कि जाएगी इसके उपरांत जमा की गयी धन राशि कि ऑनलाईन ई-रसीद कि छायाप्रति सहित सैदान्तिक स्वीकृति कि अनुपालना आख्या जिसमें जमा कि गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् (वी.पी.एन) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण पारेषन लाईन के नीचे बौने पौध रोपण तथा अन्य हेतु जमा पौधे का वृक्षारोपण धनराशि का विवरण दिया गया हो तदोपरांत ही विधि, प्रेषित कि जाये तथा स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	राशि 3147760 /— कैम्पा खाता संख्या 150856429091681 कॉर्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में आरटीजीएस के माध्यम से जमा करवाई गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है। अजमेर-2417030 /— दिनांक 12.07.2018 नागौर-730730 /— दिनांक 12.07.2018 योग-3147760 /—

E/: Office documents/C

1048

2. उप वन संरक्षक, अजमेर एवं नागौर।
3. उप वन संरक्षक (CAMPA), कार्यालय हाजा।
4. अधिशासी अभियंता (निर्माण), AVVNL, विधुत भवन, IIIrd Floor, क.नं. 304, पंचशील नगर, मकरावली रोड, अजमेर-305001

(पी. सी. कुमावत)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

5.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि इनकी राशि में (वी.पी.एन) बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जाम की जाएगी।	हां, यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जाम की जाएगी। प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण ले व्यय पर किया जायेगा यह सीमांकन 4" फीट ऊँचे आर.सी.सी. पिलरो से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक, DGPS, निर्देशांक backward and forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पिलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	हां, विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के पय पर किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक, डीजीपीएस निर्देशांक, बैकवर्ड एण्ड फोरवर्ड बेरिंग एवं अपने निकटवर्ती पिलरों से दूरी दर्शायी जायेगी। प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित कि जायेगी।	हां, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर प्रेषित कर दी गई है।
8.	सैदान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	उप वन संरक्षक द्वारा जारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1890 के उल्लंघन सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।	हां, प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र संलग्न है।
10.	परियोजना में निमित राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यनुमति (Working Permission) निरस्त करने कि स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.01.2015 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जायेगा।	हां, परियोजना के निमित राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यनुमति (Working Permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र 11-306/2014-एफसी(pt) दिनांक 28.08.15 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा। प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के प्रमाण पत्र को विधिवत स्वीकृति से पूर्व प्रस्तुत करेगा।	ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ पूर्व में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। (प्रति संलग्न)
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबधता प्रमाणपत्र की भविष्य में यदि दैनिक दरों में बढ़ोतरी होती है तो क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का अतिरिक्त भार वहन (bear) किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर के आधार पर कार्यान्वित होगी।	भविष्य में यदि दैनिक दरों में बढ़ोतरी होती है तो क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का अतिरिक्त भार वहन (bear) किया जायेगा तथा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर के आधार पर कार्यान्वित होगी, प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उक्तानुसार ।

भवदीय,



(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ14(एवीवीएनएल)2014/एफसीए/प्रमुवसं/
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

दिनांक:

E:/Office documents/C

1049

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- To be Verified** : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. **Challan Generated** : This icon shows that the challan has been generated.
Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. **Paid** : This icon shows that the payment has been made.

* Proposals received on or after 15th July 2014 * All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Lucknow

Select State : Rajasthan

Select User Agency : Select

Online Help/Query Payment Status : * Paid Unpaid All

Bank Name : --Select All--

Mode of Payment : --Select All--

Transaction Date (From) :

Transaction Date (To) :

Enter value for Search : 29091

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application No	Date of IN-PRINCIPLE Paid (in Rs.)	Amount to be Paid/Amount	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/TRANS/29091/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/TRANS/29091/2017) CONSTRUCTION 220 KV D/C LINE AJMER BHERUNDA, RAJASTHAN	TRANS290912017400	28 Jun 2018	CA: 61387/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, Medicinal Plant : 131100/- Total : 192487/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 10 May 2019 Transaction Date : 14 May 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/41116121012134CHOQRevisedDNajmerbherundaprope Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=TRANS290912017
2	FP/RJ/TRANS/29091/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/TRANS/29091/2017) CONSTRUCTION 220 KV D/C LINE AJMER BHERUNDA, RAJASTHAN	TRANS290912017681	28 Jun 2018	CA: 1011360/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3147760/-, Medicinal Plant : 2077600/- cost : Total : 6236720/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 12 Jul 2018 Transaction Date : 12 Jul 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/7111012512117C9Y4DemandnoteAjme Bherundaline.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=TRANS290912017



(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

india.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

MeitY

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक एफ 11(74अ)एफसीए/मुवसअ/2018/

7376

दिनांक 24-10-19

निमित्त:-

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

FCA
6/11

विषय:- Diversion of Forest Land 3.92 ha. Total (Ajmer 3.01ha.and Nagaur 0.91ha. Forest Land) Forest Land in favour of Executive Engineer,RRVPNL Ajmer for Construction of 220 k/v D/C Ajmer-Bherunda Transmission Line in Ajmer and Nagaur proposal no.FP/RJ/Trans//2909/2017/

2443
7/11/19
DCC

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय(मध्य)
लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज./04/19/2018/एफसी/230 दिनांक 28. 06.2018 एवं आपका पत्रांक 2811 दिनांक 29.7.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि Diversion of Forest Land 3.92 ha. Total (Ajmer 3.01ha.and Nagaur 0.91ha. Forest Land) Forest Land in favour of Executive Engineer,RRVPNL Ajmer for Construction of 220 k/v D/C Ajmer- Bherunda Transmission Line in Ajmer and Nagaur proposal no.FP/RJ/Trans//2909/2017/ प्रकरण में उप वन संरक्षक,अजमेर ने अपने पत्रांक 9606 दिनांक 21.10.2019 द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायी गयी है। जो आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(आर.के.जैन)

मुख्य वन संरक्षक
अजमेर।

दिनांक

क्रमांक सम/

प्रतिलिपि:-उप वन संरक्षक, अजमेर को संदर्भित पत्र के क्रम सूचनार्थ प्रेषित है।

(आर.के.जैन)

मुख्य वन संरक्षक
अजमेर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या- 0145-2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक-एफ14()एफसीए/उवस/2019-20/ 9606

दिनांक:- 21/10/19

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:- Diversion of 3.92 ha. (3.01 ha. in Ajmer Forest Division and 0.91 ha. in Nagour Foret Division) Forest Land in favour of Excutive Engineer, RRVNLT Ajmer for Construction of 220 K/V D/C Ajmer-Bherunda Transmission Line in Ajmer & Nagur District.

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/04/19/2018/एफसी/230 दि.28.06.2018 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का पत्रांक 2812-14 दि.29.07.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.06.2017 से शर्ताधीन स्वीकृति जारी किये जाने पर प्रयोक्ता अभिकरण से मांग पत्र अनुसार राशि जमा कराये जाने पर सन्दर्भित पत्र द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट चाहे जाने पर पालना रिपोर्ट मय दस्तावेजों के चार प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है:-

क्र.सं.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/04/19/2018/ एफसी/230 दि.28.06.18 को जारी स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके पत्रांक 214 दि.12.07.2018 द्वारा प्रेषित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के दुगने अवनत वनभूमि (3.92x2=7.84 ha.) अर्थात् 7.84 है० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	7.84X129000=1011360/- राशि कैम्पा खाता संख्या 150856429091681 कॉर्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में दिनांक 12.07.2018 को आरटीजीएस के माध्यम से जमा करायी जा चुकी है एवं राशि की अन्तर राशि 61387/- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दि.14.05.2019 को ऑनलाईन जमा करायी जा चुकी है। अन्तर राशि बैंक स्टेटमेंट अनुसार 192454.54 में सम्मिलित हैं। बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति संलग्न हैं।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	3.01X530000=1595300/-राशि कैम्पा खाता संख्या 150856429091681 कॉर्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में दिनांक 12.07.2018 को आरटीजीएस के माध्यम से जमा करायी जा चुकी है एवं बढ़ी हुई अन्तर राशि 100666/-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दि.14.05.2019 को ऑनलाईन जमा करायी जा चुकी है। अन्तर राशि बैंक स्टेटमेंट अनुसार 192454.54 में सम्मिलित हैं। बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति संलग्न हैं।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी दि.08.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी। इसके उपरान्त जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एनपीवी, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, पारिक्षण लाइन के नीचे बौने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	3.01X803000=2417030/-राशि कैम्पा खाता संख्या 150856429091681 कॉर्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में दिनांक 12.07.2018 को आरटीजीएस के माध्यम से जमा करायी जा चुकी है। उक्त राशि चालान द्वारा जमा कराई गई राशि रु. 6236720/- में सम्मिलित हैं। चालान की प्रति संलग्न हैं।

क्र.सं.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/04/19/2018/ एफसी/230 दि.28.06.18 को जारी स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके पत्रांक 214 दि.12.07.2018 द्वारा प्रेषित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	हां, यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊँचे आर.आर.सी. पिलरों से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक, डीजीपीएस निर्देशांक, बैकवर्ड एण्ड फोरवर्ड बेरिंग एवं अपने निकटवर्ती पिलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।	हां, विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊँचे आर.आर.सी. पिलरों से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक, डीजीपीएस निर्देशांक, बैकवर्ड एण्ड फोरवर्ड बेरिंग एवं अपने निकटवर्ती पिलरों से दूरी दर्शायी जायेगी। वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	हां, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। मक डिस्पोजल योजना संलग्न है।
8	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	हां, प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
10	परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 11-306/2014-एफसी(pt) दि.28.08.15 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।	हां, परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 11-306/2014-एफसी(pt) दि.28.08.15 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा। वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के प्रमाण पत्र को विधिवत् स्वीकृति से पूर्व प्रस्तुत करेगा।	ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ पूर्व में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। (प्रति संलग्न)
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र कि भविष्य में यदि दैनिक दरों में बढ़ोतरी होती है तो क्षतिपूरक वृक्षारोपण का अतिरिक्त भार वहन (bear) किया जायेगा तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर के आधार पर कार्यान्वित होगी।	भविष्य में यदि दैनिक दरों में बढ़ोतरी होती है तो क्षतिपूरक वृक्षारोपण का अतिरिक्त भार वहन (bear) किया जायेगा तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर के आधार पर कार्यान्वित होगी, का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

4/8/20

भवदीय,

(सुदीप कौर)

उप वन संरक्षक

अजमेर

दिनांक :-

क्रमांक :- सम /

प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल एफसीए, राजस्थान जयपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

4

उप वन संरक्षक

अजमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

[Corporate Identity Number (CIN): L40109RJ2000SGC016485]

(An ISO 9001:2015 Certified Company)

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C), RVPN, AJMER

Telephone No. 0145-2974221 E-mail: xen.cm.beawar@rvpn.co.in

website: <http://www.energy.rajasthan.gov.in/rvpn>

No. RVPNL /XEN/ T&C/AJMER/F. AJM- Bherunda Forest/ D. 566 Date 27/9/19

मुख्य वन संरक्षक,

अजमेर ।

विषय:- Diversion of 3.92 ha. (3.01 ha. in Ajmer Forest Division & 0.91 ha, in Nagour Forest Division) of forest land in favour of Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidhyut Prasaran Nigam Ltd. Ajmer for construction of 220 kV D/C Ajmer Bherunda line in Ajmer & Nagoyr District.

प्रसंग:-(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक , प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी , , जयपुर का पत्र क्रमांक 2811-14 दिनांक 29/07/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयावगत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण भारत सरकार, & के पत्र क्रमांक 230 दिनांक 28 .06.2018 द्वारा जारी सैदान्तिक स्वीकृति की सम्पूर्ण बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्न प्रकार हैं

1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र सलंगन है ।												
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने अबनत वनभूमि (3.92 2= 7.84 हे.) अर्थात 7.84 हे. पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित वेतन दरो को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) केम्पा , नई दिल्ली में जमा कि कि जाएगी	शर्त की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जनवरी 2019 से लागु नवीन दर 136830/- प्रति है. कि दर से कुल राशि रु. 10,72,747/- कैम्पा फण्ड में जमा करवा दिया गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है जमा की गयी धन राशी कि ऑन लाइन ई-रशीद कि छायाप्रति सलंगन है <table><tr><th>दिनांक</th><th>जमा राशि (रु.)</th><th>विवरण</th></tr><tr><td>12/7/18</td><td>1011360/-</td><td>प्रारंभिक राशि</td></tr><tr><td>14/05/19</td><td>61387/-</td><td>अंतर राशि</td></tr><tr><td>कुल</td><td>1072747/-</td><td></td></tr></table>	दिनांक	जमा राशि (रु.)	विवरण	12/7/18	1011360/-	प्रारंभिक राशि	14/05/19	61387/-	अंतर राशि	कुल	1072747/-	
दिनांक	जमा राशि (रु.)	विवरण												
12/7/18	1011360/-	प्रारंभिक राशि												
14/05/19	61387/-	अंतर राशि												
कुल	1072747/-													
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विधुत लाइन के निचे बोनो पोथे (मुख्यता औषधिया पोथे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशी (प्रचलित वेतन	शर्त की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधुत लाइन के निचे बोनो पोथे (मुख्यता औषधिया पोथे) हेतु जनवरी 2019 से लागु नवीन दर 563444/- प्रति है. कि दर से कुल राशि रु. 16,95,966/- कैम्पा फण्ड में जमा करवा दिया गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है जमा की गयी धन राशी कि ऑन												

(सुदीप जौर)

(M.K. Jarwal)

Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

	दरो को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) केम्पा , नई दिल्ली में जमा कि कि जाएगी ।	लाइन ई-रशीद कि छायाप्रति सलग्न है												
		<table> <tr> <th>दिनांक</th><th>जमा राशि (रु.)</th><th>विवरण</th></tr> <tr> <td>12/7/18</td><td>1595300/-</td><td>प्रारंभिक राशि</td></tr> <tr> <td>14/05/19</td><td>100660/-</td><td>अंतर राशि</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>1695966/-</td><td></td></tr> </table>	दिनांक	जमा राशि (रु.)	विवरण	12/7/18	1595300/-	प्रारंभिक राशि	14/05/19	100660/-	अंतर राशि	कुल	1695966/-	
दिनांक	जमा राशि (रु.)	विवरण												
12/7/18	1595300/-	प्रारंभिक राशि												
14/05/19	100660/-	अंतर राशि												
कुल	1695966/-													
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 20 2 /1995 के अंतर्गत आई. ए संख्या 566 एवं भरत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 - एफ सी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) कि निर्धारित राशी केम्पा , नई दिल्ली में जमा कि जाएगी । इसके उपरांत जमा की गयी धन राशी कि ऑन लाइन ई-रशीद कि छायाप्रति सहित सैदान्तिक स्वीकृति कि अनुपालना आख्या (जिसमे जमा कि गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी.), क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, पारिषद लाइन के निचे बोने पोथे का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धन राशी का विवरण दिया गया हो) प्रेषित कि जाये, तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा	शर्त की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) कि निर्धारित राशी रु. 24,17,030/- केम्पा फण्ड में दिनांक 12/7/18को जमा करवा दी गयी है । जमा की गयी धन राशी कि ऑन लाइन ई-रशीद कि छायाप्रति सलग्न है												
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की राशी में बढ़ोतरी होती है तौ बढी हुई धन राशी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र सलग्न है ।												
6	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण ले व्यय पर किया जायेगा यह सीमांकन 4 फीट ऊँचे आर.सी.सी. पिलरो से किया जायेगा जिसमे प्रत्येक पिलर पर	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र सलग्न है ।												

(सुदीप कौर)

उप वन संरक्षक
अजमेर

(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

	क्रमांक , निर्देशांक एवं अपने निकटवर्ती पीलरो से दुरी दर्शायी जाएगी	
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित कि जाये	स्वीकृत मक डिस्पोजल योजना सलंगन है ।
8	सैदान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन के विषय में सूचना /प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन सम्बंधित प्रमाण पत्र सलंगन है ।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागु सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगे	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र सलंगन है ।
10	परियोजना में निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यनुमति () निर्गत करने कि स्थिति में पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.01.2015 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जायेगा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र सलंगन है ।
11	प्रयोक्ता अभिकरण ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के प्रमाण पत्र को विधिवत स्वीकृति से पूर्व प्रस्तुत करेगा	वनाधिकार प्रमाण पत्र सलंगन है ।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबधता प्रमाणपत्र की भविष्य में यदि दैनिक दरो में बढ़ोतरी होती है तो क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का अतिरिक्त भर वहन () किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना 1000 पोथे प्रति है. के आधार पर कार्यान्वित होगी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र सलंगन है

(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक
अजमेर

(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPR, AJMER

उपरोक्त सभी शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



भवदी

अधीशाषी अभियन्ता (टी एंड सी)

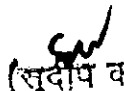
रा .वि.प्र.नि .लि अजमेर अजमेर

क्रमांक एफ() उवसं/अजमेर/2019-20/

दिनांक

प्रतिलिपि उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए., राजस्थान, जयपुर
2. अधीक्षण अभियन्ता (टी एंड सी) रा.रा.वि.प्र.नि. लि. अजमेर


(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक
अजमेर



अधीशाषी अभियन्ता (टी एंड सी)

रा .वि.प्र.नि .लि अजमेर अजमेर

Full Title of the Project: " 220 KV D/C Ajmer-Bherunda TRANSMISSION LINE

File No. : FP/RJ/TRANS/29091/2017

Date of Proposal: 30/10/2017

Proposed land to be diverted :- 3.92 Ha. (3.01 Ha. in Ajmer Division & 0.91 Ha. in Nagour Division)

वचनबधता प्रमाण पत्र

(शर्त संख्या 01 कीअनुपालना के क्रम)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/04/19/2018/एफ.सी/230 दिनांक 28/06/2018 द्वारा "220 KV D/C Ajmer – Bherunda Transmission Line" के निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यवर्तन के लिए जारी की गई सेधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 01 कीअनुपालना के क्रम यह वचनबधता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण (रा.रा.वि.प्र.नि.लि) द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

दिनांक :-

(सुदीप कौर)
उप वन सहायक
अजमेर

(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

Payment details

S.N.	Condition No.	District Forest	Date	Amount	Bank Reference No.
1.	2	Ajmer & Nagaur	12 JULY 2018	1011360.00	CRA0625309 Rs. 2500000.00
2.	3	Ajmer	12 JULY 2018	1595300.00	CRA0625329 Rs. 2500000.00
3.	3	Nagaur	12 JULY 2018	482300.00	CRA0625359 Rs. 1236720.00
4.	4	Ajmer	12 JULY 2018	2417030.00	TOTAL :- 6236720.00
5.	4	Nagaur	12 JULY 2018	730730.00	
			TOTAL	6236720.00	
Difference Amount					
1.	2	Ajmer & Nagaur	14 MAY 2019	61387.00	UTR No.: -SBIN619134657220
2.	3	Ajmer	14 MAY 2019	100666.00	TOTAL :- 192487.00
3.	3	Nagaur	14 MAY 2019	30434.00	
			TOTAL	192487.00	

C.S.

 (सुदीप कौर)
 उप वन संरक्षक
 अजमेर


 (M.K. Jarwal)
 Executive Engineer (T&C)
 RVPN, AJMER

7/12/2018

<https://corp.onlinesbi.com/corpuser/viewinboxtransactiondetail.htm?echequeNo=CRA0625359&businessLineId=0&functionType=queryby>


e-PayOrder Details

e-PayOrder Number

CRA0625359

Debit Status

Success

RAJASTHAN CAMPA

12-Jul-2018

Twelve Lakhs Thirty Six Thousand Seven
Hundred and Thirty One and Eighty Paise only

12,36,731.80

00000051013600017

AJMER SHASTRI NAGAR

R K JOSHI
Maker

R K JOSHI
Authorizer 1

"CRA0625359"

Credit to beneficiary 12,36,720.00
Commission Amount 11.80
Counterfoil Description CAMPA
Transaction Type RTGS Funds transfer
GSTIN Number --

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000051013600017	AJMER SHASTRI NAGAR	12,36,731.80

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSC Code	Amount	Credit Status	UTR No.
RAJASTHAN CAMPA/150856429091681	NEW DELHI LODHI COMPLEX/NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORP0000371	12,36,720.00	Processed	SBINR12018071200020665

(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक
अजमेर

(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

(A. K. Kaur)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

<https://corp.onlinesbi.com/corpuser/viewinboxtransactiondetail.htm?echequeNo=CRA0625329&businessLIneld=0&functionType=queryby>



e-PayOrder Number

CRA0625329

Debit Status

Success

12-Jul-2018

RAJASTHAN CAMPA

Twenty Five Lakhs Eleven and Eighty Paise

only

25,00,011.80

00000051013600017

AJMER SHASTRI NAGAR

R K JOSHI
Maker

R K JOSHI
Authorizer 1

"CRA0625329"

Credit to beneficiary	25,00,000.00
-----------------------	--------------

Commission Amount	11.80
-------------------	-------

Counterfoil Description	CAMPA RAJASTHAN
-------------------------	-----------------

Transaction Type	RTGS Funds transfer
------------------	---------------------

GSTIN Number

Debit Account Details

Account No.

Branch

Amount

00000051013600017

AJMER SHASTRI NAGAR

25,00,011.80

Credit Account Details

[illegible]

9. 5.

(नदीय तट)

उप वन संरक्षक
अध्यापक

AM K. Jarva'

negative control (CC)
100% 24h

7/12/2018

https://corp.onlinesbi.com/corpuser/viewinboxtransactiondetail.htm?chequeNo=CRA0625309&businessLineId=0&functionType=queryby



e-PayOrder Details

e-PayOrder Number

CRA0625309

Debit Status

Success

12-Jul-2018

RAJASTHAN CAMPA

only Twenty Five Lakhs Eleven and Eighty Paise

25,00,011.80

00000051013600017

AJMER SHASTRI NAGAR

R K JOSHI
MakerR K JOSHI
Authorizer 1

"CRA0625309"

Credit to beneficiary 25,00,000.00

Commission Amount 11.80

Counterfoil Description CAMPA RAJASTHAN

Transaction Type RTGS Funds transfer

GSTIN Number --

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000051013600017	AJMER SHASTRI NAGAR	25,00,011.80

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSC Code	Amount	Credit Status	UTR No.
RAJASTHAN CAMPA/150856429091681	NEW DELHI LODHI COMPLEX/NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORP0000371	25,00,000.00	Processed	SBINR12018071200021278

C. S.

SW

(सुदीप कौर)

उप वन संरक्षक
अजमेर

(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

(R.K. Joshi)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

Debit Account Details

Date:-14.05.2019

Account No.	Branch	Amount
00000051013600017	AJMER SHASTRI NAGAR	1,92,490.54

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSC Code	Amount	Credit Status	UTR No.
RAJASTHAN CAMPA/150856429091 400	NEW DELHI LODHI COMPLEX/NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORP0000 371	1,92,487. 00	Credited to Beneficiary Account	SBIN619134657 220

C.S.
(सुनील कोर)
उप निरीक्षक
अजमेर

(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

Full Title of the Project: " 220 KV D/C Ajmer-Bherunda TRANSMISSION LINE

File No. : FP/RJ/TRANS/29091/2017

Date of Proposal: 30/10/2017

Proposed land to be diverted :- 3.92 Ha. (3.01 Ha. in Ajmer Division & 0.91 Ha. in Nagour Division)

वचनबध्ता प्रमाण पत्र

(शर्त संख्या 05 की अनुपालना के क्रम)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/04/19/2018/एफ.सी/230 दिनांक 28/06/2018 द्वारा "220 KV D/C Ajmer – Bherunda Transmission Line" के निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यवर्तन के लिए जारी की गई सेधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 की अनुपालना के क्रम यह वचनबध्ता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि यदि सक्षम स्तर से एन.पी.वी की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण (रा.रा.वि.प्र.नि.लि) द्वारा जमा करवा दी जावेगी

C.S.



(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

दिनांक :-

(सुनील कुमार)
उप निरीक्षक

Full Title of the Project: " 220 KV D/C Ajmer-Bherunda TRANSMISSION LINE

File No. : FP/RJ/TRANS/29091/2017

Date of Proposal: 30/10/2017

Proposed land to be diverted :- 3.92 Ha. (3.01 Ha. in Ajmer Division & 0.91 Ha. in Nagour Division)

वचनबधता प्रमाण पत्र

[शर्त संख्या 06 कीअनुपालना के क्रम]

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/04/19/2018/एफ.सी/230 दिनांक 28/06/2018 द्वारा "220 KV D/C Ajmer – Bherunda Transmission Line" के निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यवर्तन के लिए जारी की गई सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 कीअनुपालना के क्रम यह वचनबधता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण (रा.रा.वि.प्र.नि.लि) द्वारा विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण ले व्यय पर किया जायेगा यह "सीमांकन " 4 फीट ऊँचे आर DGPS , जिसमे प्रत्येक पिलर पर क्रमांक I पिलरो से किया जायेगा .सी.सी. निर्देशांक bearing forward and backward ,एवं अपने निकटवर्ती पीलरो से दुरी दर्शायी जाएगी

दिनांक :-

C.S.
(सुनील कौशिक)
उप वन संयोजक
राजस्थान



(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER



राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड

(आई एस ओ 9001-2008 प्रमाणित कम्पनी)

कोरपोरेट पहचान संख्या (CIN): L40109RJ2000SGC016485)

रजिस्टर्ड कार्यालय : विधुत भवन, ज्योति नगर, जयपुर

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी) अजमेर

Mob. 9414061437 E-Mail ID: - xen.cm.beawar@rvpn.co.in

मक् डिस्पोजल योजना

Title of project :- Construction of 220 KV D/C Ajmer-Bherunda line

Proposal No. :- FP/RJ/TRANS/29091/2017

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक संख्या संख्या 8बी /राज0/04/19/2018/एफसी/230 दिनांक 28.6.18 के द्वारा 220 अजमेर-भैरुंदा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु 3.92 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 7 की अनुपालना के क्रम में रासाविप्रनिलि, (यूजर एजेन्सी) द्वारा वन भूमि में टॉवर स्थापित किये जायेंगे । कुल 5 टावर की खुदाई से 624.41 cum मिट्टी निकाली जाएगी। इन गड्ढो में सीमेन्ट, कंक्रीट, रेत से टॉवर की स्टब सैटिंग करके गड्ढो को मिट्टी से पुनः भरकर समतल कर दिया जायेगा और साईट पर से 312.205 cum अन्य बचा हुआ सामान हटा कर वन क्षेत्र से बाहर अरडका /खुँडियास गांव में खाली जगह पर गंधा गाड़ी द्वारा डाल दिया जायेगा। कार्य के दौरान वन विभाग के पत्थर, लकड़ी, पेड पौधों आदि को उपयोग में नहीं लिया जायेगा और यह कार्य वन विभाग के कर्मचारीयों की देखरेख में किया जायेगा।

C.S.
(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक

(CS) Mohit.
(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक
नागौर

(A.K. Singhal)
अधिषाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)

(ए के सिंघल)

रासाविप्रनिलि अजमेर
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
Ajmer



राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(आई एस ओ 9001-2008 प्रमाणित कंपनी)

कोरपोरेट पहचान संख्या (CIN): L40109RJ2000SGC016485

रजिस्टर्ड कार्यालय : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी) अजमेर

Mob. 9414061437 E-Mail ID: - xen.cm.beawar@rvpn.co.in

मक डिस्पोजल योजना

Title of project :- Construction of 220 KV D/C Ajmer-Bherunda line

Proposal No. :- FP/RJ/TRANS/29091/2017

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक संख्या संख्या 8बी /राज0/04/19/2018/एफसी/230 दिनांक 28.6.18 के द्वारा 220 अजमेर-भैरुंदा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु 3.92 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 7 की अनुपालना के क्रम में साराविप्रनिलि, (यूजर एजेन्सी) द्वारा वन भूमि में टॉवर स्थापित किये जायेंगे । कुल 5 टावर की खुदाई से 624.41 cum मिट्टी निकाली जाएगी। इन गड्ढो में सीमेन्ट, कंक्रीट, रेत से टॉवर की स्टब सैटिंग करके गड्ढो को मिट्टी से पुनः भरकर समतल कर दिया जायेगा और साईट पर से 312.205 cum अन्य बचा हुआ सामान हटा कर वन क्षेत्र से बाहर अरड़का /खुंडियास गांव में खाली जगह पर गधा गाड़ी द्वारा डाल दिया जायेगा। कार्य के दौरान वन विभाग के पत्थर, लकड़ी, पेड पौधों आदि को उपयोग में नहीं लिया जायेगा और यह कार्य वन विभाग के कर्मचारीयों की देखरेख में किया जायेगा।

(सुदीप कौर)
उप निदेशिका
अजमेर

प्रति हस्ताक्षर
(अजय शिरोडा)
उप निदेशिका
अजमेर

(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

(ए के सिंघल)
अधिषाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
साराविप्रनिलि अजमेर
(K. K. SINGH)
Executive Engineer

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वनसंरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : def.ngr_forest@rajasthan.gov.in

प्रमाण-पत्र

PROPOSAL NO. FP/RJ/TRANS/29091/2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अजमेर, राजस्थान द्वारा प्रस्ताव संख्या **FP/RJ/TRANS/29091/2017** में वन संरक्षण अधिनियम 1980 उल्लंघन नहीं किया गया है।

Date : 17-07-2018


(M.K. Jarwal)
उप वन संरक्षक
नागौर


(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER


(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
नागौर
(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक
नागौर

Full Title of the Project: " 220 KV D/C Ajmer-Bherunda TRANSMISSION LINE

File No. : FP/RJ/TRANS/29091/2017

Date of Proposal: 30/10/2017

Proposed land to be diverted :- 3.92 Ha. (3.01 Ha. in Ajmer Division & 0.91 Ha. in Nagour Division)

वचनबधता प्रमाण पत्र

(शर्त संख्या 09 की अनुपालना के क्रम)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/04/19/2018/एफ.सी/230 दिनांक 28/06/2018 द्वारा "220 KV D/C Ajmer – Bherunda Transmission Line" के निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यवर्तन के लिए जारी की गई सेधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 की अनुपालना के क्रम यह वचनबधता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण (रा.रा.वि.प्र.नि.लि) द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागु सभी नियमकानून तथा दिशा निर्देशों , का पालन किया जायेगा ।

दिनांक :-

C.S.
(रा.रा.वि.प्र.नि.लि)
उप वन अधिकारी
अजमेर


(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

Full Title of the Project: " 220 KV D/C Ajmer-Bherunda TRANSMISSION LINE

File No. : FP/RJ/TRANS/29091/2017

Date of Proposal: 30/10/2017

Proposed land to be diverted :- 3.92 Ha. (3.01 Ha. in Ajmer Division & 0.91 Ha. in Nagour Division)

वचनबधता प्रमाण पत्र

(शर्त संख्या 10 की अनुपालना के क्रम)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/04/19/2018/एफ.सी/230 दिनांक 28/06/2018 द्वारा "220 KV D/C Ajmer – Bherunda Transmission Line" के निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यवर्तन के लिए जारी की गई सेधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 10 की अनुपालना के क्रम यह वचनबधता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण (रा.रा.वि.प्र.नि.लि) द्वारा कार्यनुमति निर्गत करने कि (Permission Working) स्थिति में पर्यावरण वन एवं , को जारी दिशा 07.01.2015 भारत सरकार द्वारा दिनांक , लयजलवायु परिवर्तन मंत्रा I निर्देश का अनुसरण किया जायेगा

दिनांक :-

C.S.
C.S.
निदेशक (कैर)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि.
लखनऊ


(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

वन अधिकार समिति की बैठक

आज दिनांक 03-08-17 को वन अधिकार समिति की बैठक का आमोन्मज किया गया बैठक की अध्यक्षता श्री कन्हैयालाल बेहल द्वारा की गई।

आज दिनांक 03-08-17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार "राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम" के तहत प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में ग्राम अरडका ग्राम परम्परागत सरडका में अनुसूचित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मांग) अधिनियम 2006 निगम 2008 तथा संबंधित निगम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी वन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का कभी समुदाय उक्त अधिनियम निगमों के अन्तर्गत इस विषय की प्रारंभ के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं निगम में उल्लेख प्राप्त नहीं रहता/प्रमाणित नहीं होता है।

अतः इस संबंध में सलाह दी गयी कि वन अधिकारों की अनुशासन की जाती है।

गीता

समीक्षा

11/8/17

लक्ष्मी

श्री

Mohit

(मोहित गुप्ता)

उप वन संरक्षक
नागौर

कन्हैयालाल

अध्यक्ष

कमला

गदीला


(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

21/8/17


(A.K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL Ajmer

21/8/17

Full Title of the Project: " 220 KV D/C Ajmer-Bherunda TRANSMISSION LINE

File No. : FP/RJ/TRANS/29091/2017

Date of Proposal: 30/10/2017

Proposed land to be diverted :- 3.92 Ha. (3.01 Ha. in Ajmer Division & 0.91 Ha. in Nagour Division)

वचनबधता प्रमाण पत्र

(शर्त संख्या 12 की अनुपालना के क्रम)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/04/19/2018/एफ.सी/230 दिनांक 28/06/2018 द्वारा "220 KV D/C Ajmer - Bherunda Transmission Line" के निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यवर्तन के लिए जारी की गई सेधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 12 की अनुपालना के क्रम यह वचनबधता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि यदि श्रमिक दरो में बढ़ोतरी के कारण क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि को कि प्रयोक्ता अभिकरण (रा.रा.वि.प्र.नि.लि) द्वारा जमा करवा दी जावेगी ।

दिनांक :-

८.९.

(शदीप कौर)
उप वन संरक्षक
रा.रा.वि.प्र.नि.लि.


(M.K. Jarwal)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, AJMER

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक एफ 11(74अ)एफसीए/मुवसअ/2018/

1502

दिनांक 3-3-20

निमित्त:-

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

148
12-3-20

विषय:- Diversion of Forest Land 3.92 ha. Total (Ajmer 3.01ha.and Nagaur 0.91ha. Forest Land) Forest Land in favour of Executive Engineer,RRVPNL Ajmer for Construction of 220 k/v D/C Ajmer-Bherunda Transmission Line in Ajmer and Nagaur proposal no.FP/RJ/Trans//2909/2017/

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय(मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज./04/19/2018/एफसी/230 दिनांक 28.06.2018 एवं आपका पत्रांक एफ 14(TRANS)2017/एफसीए/प्रमुवसं/4982 दिनांक 25.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि Diversion of Forest Land 3.92 ha. Total (Ajmer 3.01ha.and Nagaur 0.91ha. Forest Land) Forest Land in favour of Executive Engineer,RRVPNL Ajmer for Construction of 220 k/v D/C Ajmer- Bherunda Transmission Line in Ajmer and Nagaur proposal no.FP/RJ/Trans//2909/2017/ प्रकरण में उप वन संरक्षक,नागौर ने अपने पत्रांक 1303 दिनांक 19.02.2020 द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायी गयी है। (उप वन संरक्षक अजमेर की पालना रिपोर्ट पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 7376 दिनांक 24.10.2019 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है।) जो आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

Y
6/3/2020

5

क्रमांक सम/

प्रतिलिपि:-उप वन संरक्षक, नागौर को पत्रांक 1303 दिनांक 19.02.2020 के क्रम प्रेषित कर लेख है कि पालना रिपोर्ट विलम्ब से भिजवाने का कारण स्पष्ट करें।

भवदीय,

(आर.के.जैन)

मुख्य वन संरक्षक

अजमेर।

दिनांक

(आर.के.जैन)

मुख्य वन संरक्षक

अजमेर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : dcf.ngr_forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ ()तक/उवसं/2019-20/

दिनांक :

निमित्त :

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर

Sub : diversion of 3.92 ha. (3.01 ha. in ajmer Forest division & 0.91 ha. in nagaur forest division) of forest land in favour of Executive Engineer] Rajasthan Rajya Vidhyut Prasaran Nigam Ltd., Ajmer for construction of 220 KV D/C Ajmer-Bherunda Transmission line in ajmer & nagaur district.

प्रसंग : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 230 दिनांक 28.06.2018 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर का पत्रांक 3631-53 दिनांक 25.09.2018 एवं 4983-85 दिनांक 25.11.2019 के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रकरण में भारत सरकार के सदरभित पत्र द्वारा प्रकरण में 3.92 है0(3.01 है. अजमेर व 0.91 है. नागौर) वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की पैरावाईज पालना रिपोर्ट एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के सदरभित पत्र की पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	पालना रिपोर्ट	वि. वि.
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति का कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस बिन्दु की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग प्राप्त कर ली गई है। (प्रति संलग्न)	
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने अवनत वनभूमि (3.92X2=7.84 ha.)अर्थात्7.84 है. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	बिन्दु संख्या 2 की पालना में 0.91X2 है. की राशि के संबंध में पालना रिपोर्ट कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर से अपेक्षित है।	
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	बिन्दु संख्या 3 की पालना में प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 4,82,300 रुपये दिनांक 12.07.2018 एवं अन्तर राशि 30,434 दिनांक 10.05.2019 को कैम्पा के खाते में जमा करा दी गई है। जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 4059 दिनांक 08.07.2019 द्वारा पुर्व में भिजावाई गई थी।(पुनः दोनों चालानों की छायाप्रति संलग्न है) ऐप्लिकेशन नम्बर 6429091681 द्वारा जमा राशि 62,36,720 रुपये एवं ऐप्लिकेशन नम्बर 6429091400 द्वारा जमा राशि 1,92,487 रुपये में उपरोक्त राशियों में सम्मिलित है।	
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995	बिन्दु संख्या 4 की पालना में प्रस्तावित कार्य हेतु एनपीवी हेतु आवश्यक धनराशि	

कें अन्तर्गत आर्.पू. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिने गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। इसके उपरान्त जमा की गयी दरमाही की ऑनलाइन ई-रसीद की छायाप्रति साइट की आदेशानुसार की अनुपालना आख्या (सिमें जमा की गयी दरमाही का भुगतान विवरण अर्थोप्रेन.पी.वी., धारिपूरक वृक्षापोषण, पारेषण लाईन के नीचे बोन पौधों का वृक्षापोषण तथा अन्य हेतु जमा दरमाही का विवरण, फिमा गया है) प्रति की जाए, तदीपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनाबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगी कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरमाही में वृद्धि होती है तो वही हई दरमाही प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	विन्दु संख्या 5 की पालना में प्रयोक्ता अधिकरण से इस आशय की अप्रुवरेटिकम प्राप्त कर ली गई है। (प्रति संलग्न)	
कें अन्तर्गत आर्.पू. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 12.07.2018 को कैम्पा के खाता में जमा करा दी गई है। (पालना की छाया प्रति संलग्न है।) ऐलिकेशन नम्बर 6429091681 द्वारा जमा राशि 62,36,720 रुपये में उपरोक्त राशि में सम्मिलित है।		विन्दु संख्या 6 की पालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्थापना प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा सीमा स्थापना के अद्य पर के अद्य पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4" फीट उबे आर.सी.सी. पीलर से किया जाएगा। जिसके प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक त्र्यंशक एक विवरणक इमेलपदह एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी इस आशय की अप्रुवरेटिकम यूजर ऐजेंसी द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। (प्रति संलग्न)	विन्दु संख्या 6 की पालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। (प्रति संलग्न)
प्रयोक्ता अधिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इस आशय की अप्रुवरेटिकम प्रस्तुत कर दी गई है। (प्रति संलग्न)	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा एक हिसाबाल योजना प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रति की जायेगी।	विन्दु संख्या 7 की पालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा इस आशय की अप्रुवरेटिकम प्रस्तुत कर दी गई है। (प्रति संलग्न)	विन्दु संख्या 8 की पालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन के इरा राबोध में प्रमाण-पत्र पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 3468 दिनांक 17.07.2018 द्वारा प्रति किया जा चुका है (पुनः प्रति संलग्न है।)
कें अन्तर्गत आर्.पू. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिने गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। इसके उपरान्त जमा की गयी दरमाही का भुगतान विवरण अर्थोप्रेन.पी.वी., धारिपूरक वृक्षापोषण, पारेषण लाईन के नीचे बोन पौधों का वृक्षापोषण तथा अन्य हेतु जमा दरमाही का विवरण, फिमा गया है) प्रति की जाए, तदीपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्थापना प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा सीमा स्थापना के अद्य पर के अद्य पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4" फीट उबे आर.सी.सी. पीलर से किया जाएगा। जिसके प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक त्र्यंशक एक विवरणक इमेलपदह एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी इस आशय की अप्रुवरेटिकम यूजर ऐजेंसी द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। (प्रति संलग्न)	विन्दु संख्या 9 में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वरीमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इस आशय की अप्रुवरेटिकम प्रस्तुत कर दी गई है। (प्रति संलग्न)	विन्दु संख्या 10 की पालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। (प्रति संलग्न)

	निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.01.2015 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जाएगा।	प्रस्तुत कर दी गई है।(प्रति संलग्न)	
11.	प्रयोक्ता अभिकरण ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के प्रमाण पत्र को विधिवत् स्वीकृति से पूर्व प्रस्तुत करेगा।	बिन्दु संख्या 11 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत कर दिये गये हैं।(प्रति संलग्न)	
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र कि भविष्य में यदि दैनिक दरों में बढ़ोतरी होती है तो क्षतिपूरक वृक्षारोपण का अतिरिक्त भार वहन (bear) किया जाएगा तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर के आधार पर कियान्वित होगी।	बिन्दु संख्या 12 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भविष्य में यदि दैनिक दरों में बढ़ोतरी होती है तो क्षतिपूरक वृक्षारोपण का अतिरिक्त भार वहन किया जावेगा तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना 1000 पौधे प्रति है. के आधार पर कियान्वित होगी इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गई है।(प्रति संलग्न)	

भवदीय


(ज्ञानचन्द)

उप वन संरक्षक,
नागौर

दिनांक : 19/02/2020

572
95/8/20

क्रमांक : सम/ 1304

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी(FCA)राजस्थान, जयपुर।

DCP

FCA
95/8/20



(ज्ञानचन्द)
उप वन संरक्षक,
नागौर

95/8/2020

C

Proforma

1	Name of Regional Office	Jycknow
2	State /Distt / forest Division to which the proposal relates	Nagaur
3	Name of User agency, nature of proposal	Rajasthan Rajya Vidyut Prasarak Nigam Ltd.
4	Extent of Forest area involved	0.91 ha.
5	Whether original or extension	Original
6	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so, specify	- NA -
7	Date for 1 st stage clearance	28/06/2018
8	Extent of CAMPA charges, head wise viz. : (a) Compensatory Afforestation; (b) Additional CA : (c) Penal CA : (d) Catchment Area Treatment (e) Wild life Management Plan : (f) Additional charges for diversion of area falling under notified/protected areas: (g) Net Present Value : (h) Any other charges / levies (please specify)	Livied By DCF, Nagaur - NA - - NA - - NA - - NA - 4,82,300 INR and different amount 30,434 INR 7,30,730 INR
9	Detail of Bank Draft (Bank, Draft No. Date & Amount), head wise against items indicated in paragraph 9 above	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance :	Yes, Date :- 12.07.2018 and Date: 10.05.2019
11	Bank Corporation Bank, Lodhi Complex/union Bank of India, Sunder Nagar in which deposited, with date of deposition.	Corporation Bank New delhi 12/07/2018 and 10.05.2019
12	Any other remarks	

900
24/2/20

DCF NAGOUR
(ज्ञानचन्द्र)
उप वन संरक्षक
नागौर

AGENCY COPY**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 12-07-2018

Agency Name.	RVPNL AJMER RAJASTHAN
Application No.	6429091681
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/04/19/2018/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	SHASTRI NAGAR, AJMER Ajmer
Amount(in Rs)	6236720/-

Amount In Words :Sixty-Two Lakh Thirty-Six Thousand Seven Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856429091681 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 12-07-2018

Agency Name.	RVPNL AJMER RAJASTHAN
Application No.	6429091681
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/04/19/2018/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	SHASTRI NAGAR, AJMER Ajmer
Amount(in Rs)	6236720/-

Amount In Words :Sixty-Two Lakh Thirty-Six Thousand Seven Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856429091681 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Mohit.
(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक
नागौर

C-5
(शमशेर)
उप वन संरक्षक
नागौर

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 10-05-2019	
Agency Name.	RVPNL AJMER RAJASTHAN
Application No.	6429091400
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/04/19/2018/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	SHASTRI NAGAR, AJMER Ajmer
Amount(In Rs)	192487/-
Amount in Words : One Lakh Ninety-Two Thousand Four Hundred and Eighty-Seven Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856429091400 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only - This challan is valid only for seven days.	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 10-05-2019	
Agency Name.	RVPNL AJMER RAJASTHAN
Application No.	6429091400
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/04/19/2018/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	SHASTRI NAGAR, AJMER Ajmer
Amount(In Rs)	192487/-
Amount in Words : One Lakh Ninety-Two Thousand Four Hundred and Eighty-Seven Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856429091400 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only - This challan is valid only for seven days.	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print Back

Mohit
(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक
नागौर

C-5
(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक
नागौर



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED.

[Corporate Identity Number (CIN):L40109RJ2000SGC016485]



RVPN
n ISO 9001:2008
Certified Company

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur - 302 005)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C), RVPN, Ajmer

e-mail: xen.tnc.ajmer@rvpn.co.in

website: www.http://energy.rajasthan.gov.in/rvpnl

No. RVPN/XEN (T&C)/Ajmer/ F.-----/D. 102 Dated 27/11/19

उप वन संरक्षक,

नागौर।

विषय:- Diversion of 3.92 ha. (3.01 ha. in Ajmer Forest Division & 0.91 ha, in Nagour Forest Division) of forest land in favour of Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidhyut Prasaran Nigam Ltd. Ajmer for construction of 220 kV D/C Ajmer Bherunda line in Ajmer & Nagoyr District.

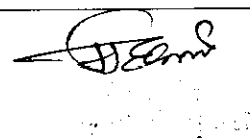
प्रसंग:- 1 जयपुर का पत्र क्रमांक , FCA , प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी , प्रधान मुख्य वन संरक्षक (2811-14 दिनांक 29/07/2019

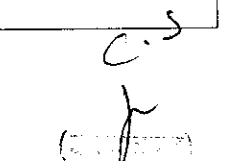
महोदय .

उपरोक्त विषयावगत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण भारत सरकार CC & MoEF ,के पत्र क्रमांक 230 दिनांक द्वारा 06.2018. 28जारी सैदान्तिक स्वीकृति की सम्पूर्ण बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्न प्रकार है

COND NO.	CONDITION	STATUS OF COMPLIANCE												
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।	वचन बधता प्रमाण पत्र सलंगन है ।												
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने अबनत वनभूमि 7.84 =2X 3.92)हे अर्थात (. 10 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं .हे 7.84 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्रचलित वेतन दरो को समाहित करने हेतु) न , केम्पा (यथा संशोधितई दिल्ली में जमा कि कि जाएगी ।	शर्त की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जनवरी से लागु नवीन 2019 -/136830 दरप्रति है कि दर से .कार्यालय उप वन संरक्षक , अजमेर द्वारा दिए गये डिमांड नोट के अनुसार कुल राशि रुकैम्पा फण्ड में जमा करवा दिया -/10,72,747 . जमा की गयी । गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है रशीद कि छायाप्रति सलंगन है-धन राशी कि ऑन लाइन ई । <table border="1"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th><th>जमा राशि (.रु)</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/7/12</td><td>1011360/-</td><td>प्रारंभिक राशि</td></tr> <tr> <td>19/05/14</td><td>61387/-</td><td>अंतर राशि</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>-/1072747</td><td></td></tr> </tbody> </table>	दिनांक	जमा राशि (.रु)	विवरण	18/7/12	1011360/-	प्रारंभिक राशि	19/05/14	61387/-	अंतर राशि	कुल	-/1072747	
दिनांक	जमा राशि (.रु)	विवरण												
18/7/12	1011360/-	प्रारंभिक राशि												
19/05/14	61387/-	अंतर राशि												
कुल	-/1072747													
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विधुत लाइन के निचे बाने पोधे मुख्यता) वर्षों तक 10 के रोपण एवं (औषधिया पोधे प्रचलित) रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशी वेतन दरो को समाहित करने हेतु यथा नई दिल्ली में जमा . केम्पा (संशोधित	शर्त की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधुत लाइन के निचे बाने पोधे हेतु जनवरी (मुख्यता औषधिया पोधे) -/563444 से लागु नवीन दर 2019प्रति हैकि दर से . कुल राशि रु5,12,734केम्पा फण्ड में जमा करवा दिया -/ जमा की गयी । गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है रशीद क-धन राशी कि ऑन लाइन ईि छायाप्रति सलंगन												

		दिनांक	जमा राशि (₹)	विवरण
		18/7/12	482300/-	प्रारंभिक राशि
		19/05/14	30434/-	अंतर राशि
		कुल	512734/-	
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 2 20 (सिविल) 1995/के अंतर्गत आई 566 ए संख्या . 2007/3-5 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या -एफ सी दिनांक के तहत दिए 05.02.2009 गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य , कि निर्धारित राशी केम्पा (.वी.पी.एन) नई दिल्ली में जमा कि जाएगी इसके उपरांत जमा की गयी धन राशी कि ऑन लाइन ईरशीद कि छायाप-रति सहित सैदान्तिक स्वीकृति कि अनुपालना आख्या जिसमे जमा कि गयी धनराशि का मदवार) विवरण अर्थातएन ,(.वी.पी.क्षतिपूर्ति वृक्षारोपणपारेषन लाइन के निचे बोने , रोपण तथा अन्य हेतु जमा पोधे का वृक्षा (धन राशी का विवरण दिया गया हो तदोपरांत ही विधि ,प्रेषित कि जायेवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।	शर्त की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य .कि निर्धारित राशी रु (.वी.पी.एन)7,30,730 -/ को जमा करवा दी गयी है। 18/7/12 कैंम्पा फण्ड में दिनां रशीद कि -जमा की गयी धन राशी कि ऑन लाइन ई छायाप्रति सलंगन है ।		
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एनकी राशी में .वी.पी. बढ़ोतरी होती है तौ बढी हुई धन राशी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी	प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र सलंगन है ।		
6	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण ले व्यय पर किया जायेगा यह ।सीमांकन " 4 फीट ऊँचे आर । पिलरो से किया जायेगा .सी.सी. DGPS , जिसमे प्रत्येक पिलर पर क्रमांक निर्देशांक backward and forward , bearingएवं अपने निकटवर्ती पीलरो से दुरी दर्शायी जाएगी	प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र सलंगन है ।		
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित कि जाये ।	मक डिस्पोजल योजना सलंगन है ।		



C.S

 (उप वन अधिकारी)
 उप वन अधिकारी
 नागौर

8	सैदान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रमाण पत्र / घन के विषय में सूचनाके उलंघन । प्रस्तुत करेंगे	वन संरक्षण अधिनियम के उलंघन सम्बंधित प्रमाण पत्र सलंग्न है
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियमकानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगे	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र सलंग्न है ।
10	परियोजना में निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यनुमति Working) निर (Permission) करने कि स्थिति में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन , भारत सरकार द्वारा दिनांक , मंत्रालय को जारी दिशा निर्देश का 07.01.2015 । अनुसरण किया जायेगा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र सलंग्न है ।
11	प्रयोक्ता अभिकरण ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के प्रमाण पत्र को विधिवत स्वीकृति से पूर्व प्रस्तुत करेगा ।	वनाधिकार प्रमाण पत्र सलंग्न है ।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबधता प्रमाणपत्र की भविष्य में यदि दैनिक दरो में बढ़ोतरी होती है तो क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का अतिरिक्त भर वहन किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति (bear) के .पोधे प्रति है 1000 वृक्षारोपण योजना । आधार पर कार्यान्वित होगी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचन बधता प्रमाण पत्र सलंग्न है

उपरोक्त सभी शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं ।

सलंग्न उपरोक्तानुसार :-

भवदीय

Assistant Engineer (T&C) अभियन्ता (टी एंड सी) अजमेर
RRVPL, BEAWAP

क्रमांक एफदिनांक /20-2019/अजमेर/उवसं ()

प्रतिलिपि उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक ,.ए.सी.एफ ,वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी ,राजस्थानजयपुर ,

भवदीय

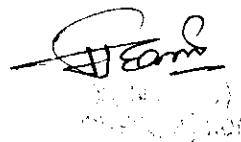
C.S
(
उप
मायौर

अधीशाषी अभियन्ता (सी टी एंड) अजमेर

Payment details

S.N.	Condition No.	District Forest	Date	Amount	Bank Reference No.
1.	2	Ajmer & Nagaur	12 JULY 2018	1011360.00	CRA0625309 Rs. 2500000.00
2.	3	Ajmer	12 JULY 2018	1595300.00	CRA0625329 Rs. 2500000.00
3.	3	Nagaur	12 JULY 2018	482300.00	CRA0625359 Rs. 1236720.00
4.	4	Ajmer	12 JULY 2018	2417030.00	TOTAL :- 6236720.00
5.	4	Nagaur	12 JULY 2018	730730.00	
			TOTAL	6236720.00	
Difference Amount					
1.	2	Ajmer & Nagaur	14 MAY 2019	61387.00	UTR No.:-SBIN619134657220
2.	3	Ajmer	14 MAY 2019	100666.00	TOTAL :- 192487.00
3.	3	Nagaur	14 MAY 2019	30434.00	
			TOTAL	192487.00	





C.S

 (उप वन संरक्षक)
 उप वन संरक्षक
 नागौर

Full Title of the Project: " 220 KV D/C Ajmer-Bherunda TRANSMISSION LINE

File No. : FP/RJ/TRANS/29091/2017

Date of Proposal: 30/10/2017

Proposed land to be diverted :- 3.92 Ha. (3.01 Ha. in Ajmer Division & 0.91 Ha. in Nagour Division)

वचनबधता प्रमाण पत्र

(शर्त संख्या 01 कीअनुपालना के क्रम)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/04/19/2018/एफ.सी/230 दिनांक 28/06/2018 द्वारा "220 KV D/C Ajmer – Bherunda Transmission Line" के निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यवर्तन के लिए जारी की गई सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 01 कीअनुपालना के क्रम यह वचनबधता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण (रा.रा.वि.प्र.नि.लि) द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

दिनांक :-



C.S.
[Signature]
अधीक्षक
रा.रा.वि.प्र.नि.लि.



7/12/2018

<https://corp.onlinesbi.com/corpuser/viewinboxtransactiondetail.htm?chequeNo=CRA0625359&businessLineId=0&functionType=queryby>


e-PayOrder Details

e-PayOrder Number

CRA0625359

Debit Status

Success

12-Jul-2018

RAJASTHAN CAMPA

Twelve Lakhs Thirty Six Thousand Seven
Hundred and Thirty One and Eighty Paise only

12,36,731.80

00000051013600017

AJMER SHASTRI NAGAR

R K JOSHI
Maker

R K JOSHI
Authorizer 1

"CRA0625359"

Credit to beneficiary 12,36,720.00

Commission Amount 11.80

Counterfoil Description CAMPA

Transaction Type RTGS Funds transfer

GSTIN Number --

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000051013600017	AJMER SHASTRI NAGAR	12,36,731.80

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSC Code	Amount	Credit Status	UTR No.
RAJASTHAN CAMPA/150856429091681	NEW DELHI LODHI COMPLEX/NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORP0000371	12,36,720.00	Processed	SBINR12018071200020665

IA *[Signature]*
Exch
301

C.S.

7/12/2018

<https://corp.onlinesbi.com/corpusser/viewinboxtransactiondetail.htm?chequeNo=CRA0625329&businessLineId=0&functionType=queryby>


e-PayOrder Details

e-PayOrder Number CRA0625329

Debit Status Success

12-Jul-2018

RAJASTHAN CAMPA

only Twenty Five Lakhs Eleven and Eighty Paise

25,00,011.80

00000051013600017

AJMER SHASTRI NAGAR

R K JOSHI
MakerR K JOSHI
Authorizer 1

"CRA0625329"

Credit to beneficiary 25,00,000.00

Commission Amount 11.80

Counterfoil Description CAMPA RAJASTHAN

Transaction Type RTGS Funds transfer

GSTIN Number --

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000051013600017	AJMER SHASTRI NAGAR	25,00,011.80

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSC Code	Amount	Credit Status	UTR No.
RAJASTHAN CAMPA/150856429091681	NEW DELHI LODHI COMPLEX/NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORP0000371	25,00,000.00	Processed	SBINR12018071200020776

7/12/2018

<https://corp.onlinesbi.com/corpuser/viewinboxtransactiondetail.htm?chequeNo=CRA0625309&businessLineId=0&functionType=queryby>


e-PayOrder Details

e-PayOrder Number

CRA0625309

Debit Status

Success

12-Jul-2018

RAJASTHAN CAMPA

only
Twenty Five Lakhs Eleven and Eighty Paise

25,00,011.80

00000051013600017

AJMER SHASTRI NAGAR

R K JOSHI
Maker

R K JOSHI
Authorizer 1

"CRA0625309"

Credit to beneficiary 25,00,000.00

Commission Amount 11.80

Counterfoil Description CAMPA RAJASTHAN

Transaction Type RTGS Funds transfer

GSTIN Number --

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000051013600017	AJMER SHASTRI NAGAR	25,00,011.80

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSC Code	Amount	Credit Status	UTR No.
RAJASTHAN CAMPA/150856429091681	NEW DELHI LODHI COMPLEX/NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORP0000371	25,00,000.00	Processed	SBINR12018071200021278

C.S

for
on 07/12/2018
at 11:00 AM

for
on 07/12/2018
at 11:00 AM

for
on 07/12/2018
at 11:00 AM

<https://corp.onlinesbi.com/corpuser/viewinboxtransactiondetail.htm?chequeNo=CRA0625309&businessLineId=0&functionType=querybyaccount>

1/1

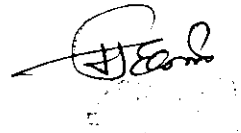
Debit Account Details

Date:-14.05.2019

Account No.	Branch	Amount
00000051013600017	AJMER SHASTRI NAGAR	1,92,490.54

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSC Code	Amount	Credit Status	UTR No.
RAJASTHAN CAMPA/150856429091 400	NEW DELHI LODHI COMPLEX/NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORP0000 371	1,92,487. 00	Credited to Beneficia ry Account	SBIN619134657 220



as.
K
14 MAY 2019
AJMER

Full Title of the Project: " 220 KV D/C Ajmer-Bherunda TRANSMISSION LINE

File No. : FP/RJ/TRANS/29091/2017

Date of Proposal: 30/10/2017

Proposed land to be diverted :- 3.92 Ha. (3.01 Ha. in Ajmer Division & 0.91 Ha. in Nagour Division)

वचनबधता प्रमाण पत्र

[शर्त संख्या 05 की अनुपालना के क्रम]

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/04/19/2018/एफ.सी/230 दिनांक 28/06/2018 द्वारा "220 KV D/C Ajmer – Bherunda Transmission Line" के निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यवर्तन के लिए जारी की गई सेधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 की अनुपालना के क्रम यह वचनबधता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि यदि सक्षम स्तर से एन.पी.वी की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण (रा.रा.वि.प्र.नि.लि) द्वारा जमा करवा दी जावेगी ।

दिनांक :-



C.S



उ. व. प्र. नि. लि.
लखनऊ

Full Title of the Project: " 220 KV D/C Ajmer-Bherunda TRANSMISSION LINE

File No. : FP/RJ/TRANS/29091/2017

Date of Proposal: 30/10/2017

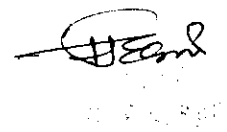
Proposed land to be diverted :- 3.92 Ha. (3.01 Ha. in Ajmer Division & 0.91 Ha. in Nagour Division)

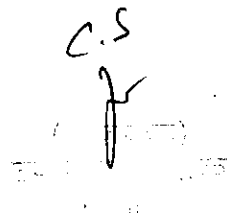
वचनबधता प्रमाण पत्र

(शर्त संख्या 06 कीअनुपालना के क्रम)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/04/19/2018/एफ.सी/230 दिनांक 28/06/2018 द्वारा "220 KV D/C Ajmer - Bherunda Transmission Line" के निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यवर्तन के लिए जारी की गई सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 कीअनुपालना के क्रम यह वचनबधता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण (रा.रा.वि.प्र.नि.लि) द्वारा विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण ले व्यय पर किया जायेगा यह "सीमांकन " 4 फीट ऊँचे आरपिलरो .सी.सी. DGPS , जिसमे प्रत्येक पिलर पर क्रमांक 1 से किया जायेगानिर्देशांक backward , and forward bearingएवं अपने निकटवर्ती पीलरो से दुरी दर्शायी जाएगी

दिनांक :-



C.S




राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(आई एस ओ 9001-2008 प्रमाणित कम्पनी)

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L40109RJ2000SGC016485)

रजिस्टर्ड कार्यालय : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी) अजमेर.

Mob. 9414061437 E-Mail ID: - xen.cm.beawar@rvpn.co.in

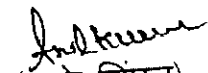
मक् डिस्पोजल योजना

Title of project :- Construction of 220 KV D/C Almer-Bherunda line

Proposal No. :- FP/RJ/TRANS/29091/2017

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक संख्या संख्या 8बी /राज0/04/19/2018/एफसी/230 दिनांक 28.6.18 के द्वारा 220 अजमेर-भैरुंदा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु 3.92 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 7 की अनुपालना के क्रम में रासविप्रनिलि, (यूजर एजेन्सी) द्वारा वन भूमि में टॉवर स्थापित किये जायेंगे । कुल 5 टावर की खुदाई से 624.41 cum मिट्टी निकाली जाएगी। इन गड्डो में सीमेंट, कंक्रीट, रेत से टॉवर की स्टब सैटिंग करके गड्डो को मिट्टी से पुनः भरकर समतल कर दिया जायेगा और साईट पर से 312.205 cum अन्य बचा हुआ सामान हटा कर वन क्षेत्र से बाहर अरड़का /खुँडियास गांव में खाली जगह पर गधा गाड़ी द्वारा डाल दिया जायेगा। कार्य के दौरान वन विभाग के पत्थर, लकड़ी, पेड़ पौधों आदि को उपयोग में नहीं लिया जायेगा और यह कार्य वन विभाग के कर्मचारीयों की देखरेख में किया जायेगा।

(स) मोहित
(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक
नागौर


(ए के सिंह)

अधिषाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रासविप्रनिलि अजमेर
A. K. SINGHAL
Executive Engineer (T&C)
AJMER

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फ़ोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : delnagr, jindal & jainasthan, gmail, in

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अजमेर, राजस्थान द्वारा प्रस्ताव संख्या PP/RJ/TRANS/29091/2017 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 उल्लंघन नहीं किया गया है।

Mohit-
(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
नागौर

Full Title of the Project: " 220 KV D/C Ajmer-Bherunda TRANSMISSION LINE

File No. : FP/RJ/TRANS/29091/2017

Date of Proposal: 30/10/2017

Proposed land to be diverted :- 3.92 Ha. (3.01 Ha. in Ajmer Division & 0.91 Ha. in Nagour Division)

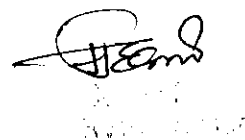
वचनबधता प्रमाण पत्र

[शर्त संख्या 09 की अनुपालना के क्रम]

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/04/19/2018/एफ.सी/230 दिनांक 28/06/2018 द्वारा "220 KV D/C Ajmer – Bherunda Transmission Line" के निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यवर्तन के लिए जारी की गई सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 की अनुपालना के क्रम यह वचनबधता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण (रा.रा.वि.प्र.नि.लि) द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागु सभी नियमकानून तथा दिशा निर्देशों का , पालन किया जायेगा ।

दिनांक :-

CS
(सहसंचालक)
उप वन संचालक
नागौर



Full Title of the Project: " 220 KV D/C Ajmer-Bherunda TRANSMISSION LINE

File No. : FP/RJ/TRANS/29091/2017

Date of Proposal: 30/10/2017

Proposed land to be diverted :- 3.92 Ha. (3.01 Ha. in Ajmer Division & 0.91 Ha. in Nagour Division)

वचनबधता प्रमाण पत्र

[शर्त संख्या 10 की अनुपालना के क्रम]

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/04/19/2018/एफ.सी/230 दिनांक 28/06/2018 द्वारा "220 KV D/C Ajmer – Bherunda Transmission Line" के निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यवर्तन के लिए जारी की गई सेधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 10 की अनुपालना के क्रम यह वचनबधता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण (रा.रा.वि.प्र.नि.लि) द्वारा कार्यनुमति निर्गत करने कि (Working Permission) स्थिति में पर्यावरण वन एवं , को जारी दिशा 07.01.2015 भारत सरकार द्वारा दिनांक , जलवायु परिवर्तन मंत्रालय । निर्देश का अनुसरण किया जायेगा

दिनांक :-

1.5
[Signature]
उप निदेशक
नगौर

[Signature]

[Signature]
निदेशक

वन आधिकार समिति की बैठक

राज्य दिनांक 28-6-19 को वन आधिकार समिति की बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री सज्जन सिंह की गयी।

राज्य दिनांक 28-6-19 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार "राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम" के तहत प्रस्तावित ग्रामों के सम्बन्ध में ग्राम खुडियास, ग्राम पंचायत कालेटड़ा अनुसूचित / अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन आधिकारों की प्राप्ति) अधिनियम 2006 नियम 2008 वन संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी वन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का वामि अनुदान उक्त अधिनियम नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार का वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता / प्रभावि नहीं होता है।

अतः इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी जाती है।

/ सज्जन सिंह

गौता
आशा
चमपा
रामचन्द्र

कमला

रामपाल

हनुमान सिंह

अमर सिंह

मोहन

CS

(CS
Mohit
(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक
नागौर

(संलग्नक)
उप वन संरक्षक

/ [Signature]
[Signature]
[Signature]

Full Title of the Project: " 220 KV D/C Ajmer-Bherunda TRANSMISSION LINE

File No. : FP/RJ/TRANS/29091/2017

Date of Proposal: 30/10/2017

Proposed land to be diverted :- 3.92 Ha. (3.01 Ha. in Ajmer Division & 0.91 Ha. in Nagour Division)

वचनबधता प्रमाण पत्र

(शर्त संख्या 12 की अनुपालना के क्रम)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/04/19/2018/एफ.सी/230 दिनांक 28/06/2018 द्वारा "220 KV D/C Ajmer – Bherunda Transmission Line" के निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यवर्तन के लिए जारी की गई सेधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 12 की अनुपालना के क्रम यह वचनबधता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि यदि श्रमिक दरो में बढ़ोतरी के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि को कि प्रयोक्ता अभिकरण (रा.रा.वि.प्र.नि.लि) द्वारा जमा करवा दी जावेगी ।

दिनांक :-

C.S

h

QX

Sham

FORM - I
(for linear projects)

Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Nagaur

No. F.12(Rev)/2017/ 4756

Date: 3/8/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 -FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.12 hectares (220 KV-Double circuit Ajmer-Bherunda- Line)** of forest land proposed to be diverted in favour **Rajasthan Rajya Vidyut prasaran Nigam Limited for Constructing 220 KV-Double circuit Ajmer-Bherunda Line** (purpose for diversion of forest land) in **Nagaur district** falls within jurisdiction of **Parbatsar tehsils**.

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.12 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it ;
- The proposals does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Enclosure District Level Meting Proceeding & Block Level Meting Proceeding


(Kumar Pal Gautam)
District Collector,
Nagaur

Form- 1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer

No. 12723

Dated 11/9/2013

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.6225 Hectare of forest land in ARADKA forest division Ajmer proposed to be diverted in favour of AEN (T&C) R.S.V.P.N. Ltd. BEAVER for LINE UPGRADATION 400 KV GSS AJMER TO 220 KV GSS BHAIRUNDA falls within jurisdiction of ARADKA villages in Ajmer Tehsil.

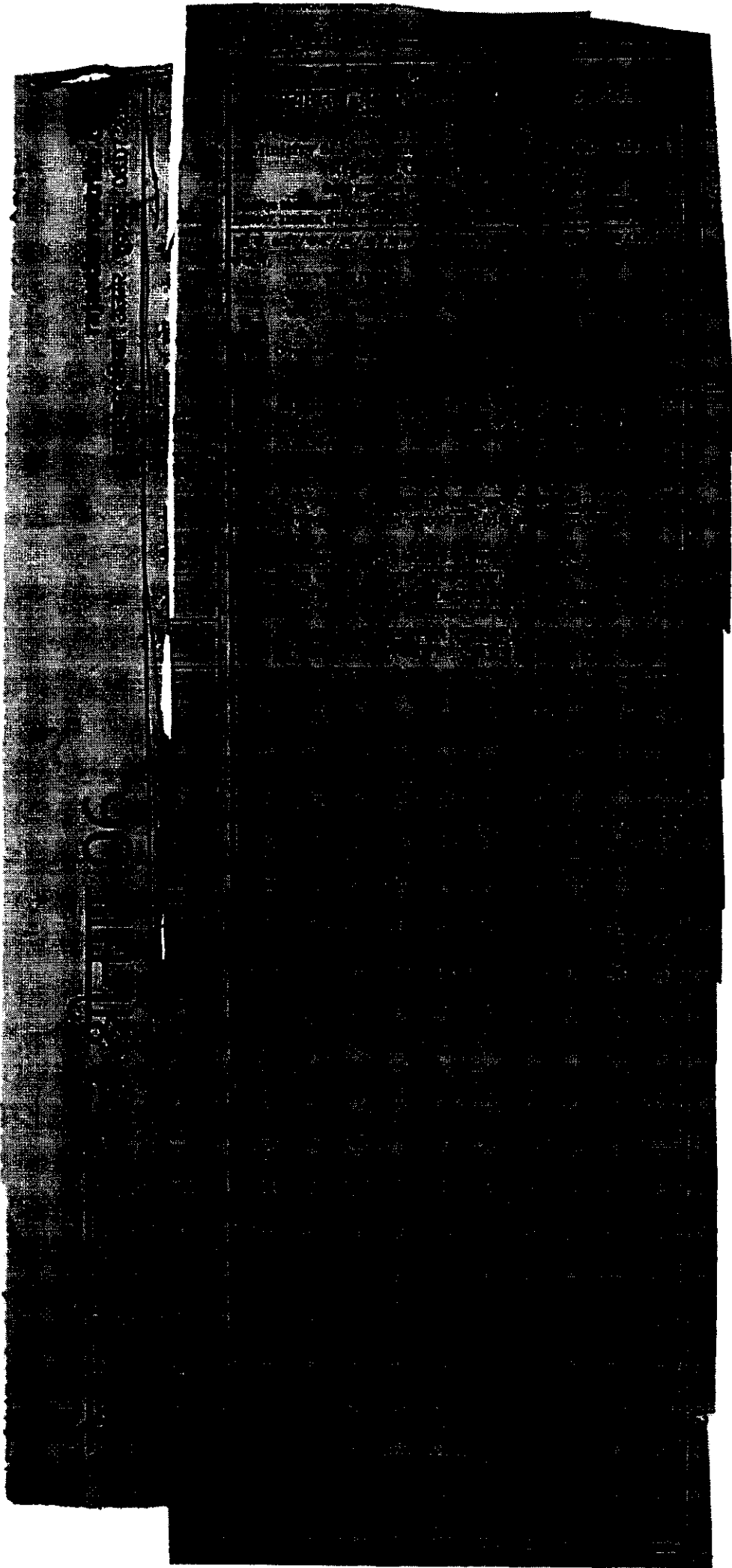
It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 3.6225 Hectare of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residing in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 9 annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. Not Applicable
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:As above

(Arun Garg)
Chief Executive Officer
Zila parishad Ajmer

(Gaurav Goyal)
District Collector
Ajmer



ककडा. रुपनगढ. श्रानगर. ०७

DIPR/C/8817/2018

सर्वप्रथम १९५१-५२

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
विन्दीय भवन, चौथी मंज, गिफ्टा-एच, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202024
Khandriya Bhawan, 5th Floor, Sector-44, Aligarh, Lucknow-224024, Telephone : 2326456, 2324346,
2328007, 2324023, E-mail : (Fax) an_sow@rediffmail.com, (Forest) gairmoredhuc@gmail.com
2018

पत्र सं. ६ बी / राज. / ०४ / १९ / २०१८ / पृष्ठ नं. २३८ दिनांक - २७/०९/२०१८

श्रीमान,

संज्ञा न. शास्त्राचार्य (नम)

Division of 3.92 ha. 33.01 bar in Ajmer Forest Division & 0.91 ha in
 Nagarkurnool Forest Division of forest land in favour of Engineer, Engineer,
 Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd., Ajmer for Construction of
 220 KV D/C Ajmer-Bhalwada Transmission Line in Ajmer & Nagarkurnool District.
 सचिव, विरोधाधिकारी, राजस्थान सरकार का पत्रांक नं० (22)वन/2010, दिनांक
 25.06.2018

उपरोक्त विषय पर कानून रक्षित, मन विभाग, राजस्थान का पत्रांक - प. 1 (32)
 नं./2010, दिनांक 11.08.2018 को ज्ञायम प्राप्त करने का कृत्य करें, जिसके विषयवस्तु
 राजस्थान नन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की तत्कालीन
 मान्यता थी।

[illegible]

2. संयोजक अधिनियम द्वारा केंद्र शासन को एक या अधिकीत वन क्षेत्र को छोड़कर अलग-अलग वनखुंडों (जैसे-23, 24, 25, 26, 27) तथा 784 ई. पर अधिनियमित कृषाव्यय एन 10 द्वारा वन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों (प्रकृति दल को समर्पित करने हुए संचालनार्थी) के रूप में नई नियुक्ति में अंतर्गत करनी।

[illegible]

4. प्रयोगशाला अधिकारकृत हस्ताक्षर वालीय उल्लेखन मायालय के रिट विद्यालय (विश्वविद्यालय) 202 / 1990 के अवतरण आदि, संख्या 586 एच नगर नगरपालिका के पत्र संख्या 5-3/2007-एनपी विभाग 05 (02/2006) के तहत में दिनांक 27 अक्टोबर 2007 नगरपालिका (एनपी) के निर्धारित विधि के माध्यम, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की बीनलाईन् ई-रसीद की छायाप्रति सहित विद्यार्थिक स्वीकृति की अनुपस्थिति आश्रय जिसमें जमा की गयी धनराशि का गनरान विवरण प्रकट एन.के.डी. प्रतिपूरक प्रकाशित करना लाईन् के दोषों की पूर्ति का कृतोपपन्न तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का गिरान किया गया हो) प्रेषित की जाए। सदोपपन्न की सिद्धिगत स्वीकृति पर शिवाय किया जाएगा।

5. प्रयोगशाला अभिकल्पन द्वारा आकार का मापन प्रदर्शित पत्र प्रस्तुत करने की सहानुभूति से बहने हुए
नीचे की धनराशि में बटोरी जाती है जो बड़ी हुई धनराशि प्रयोगशाला अभिकल्पन द्वारा जमा की
जाती है।

[illegible]

7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा एक शिरोधार्यत्व योजना प्रयोगीय तथा अधिकारी द्वारा संशुद्ध कार्यका इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

[illegible]

४. अन्तर्गत प्रत्येक विषयक विवरण निम्नलिखित अनुसार देखावत गरिनेछः

10. परामर्श के अंतर्गत कार्य संचालन हेतु आवश्यक कार्यपत्र (Working Permission) निर्गत करने की तिथि में परामर्श का एक प्रतिलिपि सीईओ को भेजकर परामर्श संचालन हेतु दिनांक 09.01.2015 को जारी किया-निर्देश का अनुसरण किया जाएगा।

11) प्रयोगों/अभिकारण धाम/सार्वजनिक वन अधिकार समिति के प्रमाण पत्र को विधिक/परीक्षित

SECRET

महाराष्ट्र शासन, न्याय विभाग, मुंबई

महाराजस्य मन्त्री मन्त्री के मन्त्रिभूय एत विदुषार सुभाष पत्रिगतन आत्मनः कृत मन्त्रि वचनपत्रा